संख्या-4/2015/450/9-1-2015-426सा/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 31 जनवरी, 2015

विषय- नगर पंचायतों की सीमा विस्तार हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2934/9-1-2014-426सा/2014, दिनांक 28.08.2014 द्वारा नगर पंचायत सृजन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-2896/नौ-8-2001-94ज/2001, दिनांक 01.08.2001 द्वारा नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों को उच्चीकृत किये जाने तथा निकायों की सीमा वृद्धि करने के संबंध में मापदण्ड निर्धारित किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 01.08.2001 को शासन के आदेश संख्या-2212/9-6-2014-181मिस/ 2014, दिनांक 10.11.2014 द्वारा निरस्त करते हुए नगर पंचायत के उच्चीकरण एवं नगर पालिका के सीमा वृद्धि हेतु मानक निर्धारित किये गये है। उक्त शासनादेश के प्राविधान नगर पंचायतों के सीमा विस्तार के लिए लागू नहीं है। नगर पंचायतों की जनसंख्या में वृद्धि एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में शहरी लक्षण विद्यमान होने के कारण सीमा वृद्धि के प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराये जा रहे। अतः नगर पंचायतों के सीमा विस्तार हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये जा रहे है :-

1- नाम- सीमा विस्तार किये जाने वाले संबंधित निकाय का नाम ।

2- उद्देश्य- सीमा विस्तार किये जाने का उद्देश्य।

3- सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र-कृषि है अथवा अकृषि क्षेत्र।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र (क) आबादी वाला है अथवा गैर आबादी (ख) उसका क्षेत्रफल कितना है।

5- प्रस्तावित क्षेत्र में शहरीकरण की प्रवृत्ति/लक्षण उत्पन्न हो गये है अथवा नहीं?

6- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार-(क) वर्तमान क्षेत्र की आबादी (ख) प्रस्तावित क्षेत्र की आबादी (ग) प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व का विवरण।

7- सीमा वृद्धि किये जाने से निकाय की वार्षिक आय में संभावित वृद्धि।

8- सीमा वृद्धि किये जाने से निकाय के वार्षिक व्यय में सम्भावित वृद्धि।

9- सीमा/सीमावृद्धि को प्रदर्शित करने वाली सूची (हिन्दी व अंग्रेजी तीन प्रतियों में संलग्न की जाय) (इस प्रकार परिभाषित की जाय कि सीमा नगर पंचायत की सीमा में कहाँ पर मिलेगी) (प्रत्येक दिशा की सीमा उपरोक्तानुसार परिभाषित की जाय तथा जिस दिशा की सीमा परिभाषित की जाय उसके नीचे टिप्पणी में यह बताया जाय कि उपर्युक्त परिभाषित सीमा के अन्दर कौन कौन से गॉव व उन गॉव के कौन-कौन से खसरा नम्बर शामिल है। खसरा नम्बरों को क्रमवार बताया जाय)

10- प्रस्तावित क्षेत्र में यदि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है तो निकाय द्वारा उसके दायित्व के निर्वहन करने की वचनबद्धता।

11- विस्तारित किये जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र (वर्तमान व प्रस्तावित क्षेत्र को अलग-अलग रंगों में दर्शाया जाय)।

12- नगर पंचायत के सीमा विस्तार करने हेतु निकाय के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव तथा जिलाधिकारी की संस्तुति।

3- अतः उक्त प्रस्तर-3 में निर्धारित नए मापदण्डों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए परिपक्व प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-450(1)/9-1-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- नगर विकास के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
8- कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in